आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 1	आदेश पर की गई कार्यवाही

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

अधिहरण वाद संख्या– 05/2011–12

राज्य सरकार –बनाम– प्रदीप साह

–: आदेश :–

15.07.2022 प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज के पत्रांक 1016/अप0शा0, दिनांक 26.05.2011 के द्वारा साहेबगंज नगर थाना कांड संख्या 37/11, दिनांक 17.03.2011 में जप्त स्टीम कोयला, चुर्ण कोयला, कोयला तौलने वाला काँटा बटखारा को राजसात करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यवाही आरम्भ करते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा की माँग किया गया।

मामला संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:– कांड के वादी श्री फेकु राम, जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा दिनांक 16.03.2011 को शाम करीब 7:30 बजे घटना स्थल ग्रीन होटल चौक से लंच घाट जाने वाली पक्की सड़क बड़तल्ला स्थित काली मंदिर से करीब 100 गज आगे सड़क के बाई तरफ अभियुक्त प्रदीप साह के झोपड़ीनुमा मकान में अवैध रूप से कोयला भंडारण कर बेचते हुए पकड़ा गया, जो (1)स्टीम कोयला करीब 20 (बीस) टन (2). 20 (बीस) प्लास्टिक बोरा में चुर्ण कोयला करीब 400 (चार सौ) किलोग्राम, (3). लकड़ी का तराजू एक अद्द, (4). 10 किलो का दो अद्द एवं (5). पाँच किलोग्राम का एक अद्द बटखारा को नगर थाना को सुपुर्द करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई, जो नगर थाना कांड संख्या 37/11, दिनांक 17.03.2011 संचालित हुआ।

विपक्षी प्रदीप साह पृच्छा के साथ उपस्थित। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया नगर थाना कांड संख्या 37/11, दिनांक 17.03.2011 में जप्त सामग्री प्रदीप साह का है। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित बयान में कहा गया है कि विपक्षी के द्वारा 20 (बीस) टन कोयला एवं 400 किलोग्राम चुर्ण कोयला खुदरा विक्रेता से खरीदा गया है। विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा यह भी बताया गया है कि कोयला तौलने वाला तराजू, दस किलो एवं पाँच किलो बटखारा का विपक्षी अनुज्ञप्तिधारी है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा यह भी बताया गया है कि पुलिस पदाधिकारी नगर थाना कांड संख्या 37/11, दिनांक 17.03.2011 में जप्त सामग्री (1)स्टीम कोयला करीब 20 (बीस) टन (2). 20 (बीस) प्लास्टिक बोरा में चुर्ण कोयला करीब 400 (चार सौ) किलोग्राम, (3). लकड़ी का तराजू एक अद्द, (4). 10 किलो का दो अद्द एवं (5). पाँच किलोग्राम का एक अद्द बटखारा को अवैध साबित करने में विफल रहे है। उनके द्वारा उपरोक्त जप्त सामग्री को मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

अतः अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा अवैध रूप से कोयला का व्यवसाय किया जा रहा था, जिसे नगर थाना कांड संख्या 37/11, दिनांक 17.03.2011 में उपरोक्त सामग्री को जप्त किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर थाना कांड संख्या 37/11, दिनांक 17.03.2011 में जप्त सामग्री (1)स्टीम कोयला करीब 20 (बीस) टन (2). 20 (बीस) प्लास्टिक बोरा में चुर्ण कोयला करीब 400 (चार सौ) किलोग्राम, (3). लकड़ी का तराजू एक अद्द, (4). 10 किलो का दो अद्द एवं (5). पाँच किलोग्राम का एक

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	2
	अद्द बटखारा को झारखण्ड खनिज विक्रेता नियमावली 2007 की धारा–8(1)(3) के अन्तर्गत राजसात किया जाता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को आदेश दिया जाता है कि संबंधित थाना प्रभारी के उपस्थिति में उपरोक्त सामग्री को नीलामी कर प्राप्त राशि को जिला नजारत में जमा करेंगे। पारित आदेश से पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज को अवगत करावें।
	अभिलेख दिनांक को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित।
	जिला दण्डाधिकारी –सह– उपायुक्त, साहेबगंज।
	जिला दण्डाधिकारी –सह– उपायुक्त, साहेबगंज।

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2024.12.19 16:26:38 +05:30
Location: 192.168.0.141